समृद्ध सहकारिता
समृद्ध पैक्स

समृद्ध बिहार
समृद्ध पंचायत

बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

(पैक्स में ऑन–लाईन सदस्यता के लिए आम सूचना)

पैक्स का सदस्य बन विकास के भागीदार बने

- बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 की धारा 44क थ(2) के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक–एक पैक्स का गठन किया गया है।
- सहकारिता विभाग प्रयासरत है कि पंचायत स्तर पर पैक्स को ग्रामीण आर्थिक संसाधन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाय। इसके लिए पैक्सों को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है। सरकारी कार्यक्रमों का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिलें इसके लिए यह जरूरी है कि पंचायत के प्रत्येक परिवार का कम–से–कम एक वयस्क पैक्स का सदस्य बने।
- पैक्स सदस्य बनने के प्रयोजन को पारदर्शी, सुगम एवं प्रभावकारी बनाने के दृष्टिकोण से सहकारिता विभाग द्वारा ऑनलाईन पोर्टल विकसित किया गया है। जिसका वेब एड्रेस www.online.bih.nic.in/epacsmember है। सहकारिता विभाग के वेबसाईट www.cooperative.bih.nic.in पर भी इसका लिंक उपलब्ध है। इस ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से इच्छुक व्यक्ति ऑनलाईन आवेदन करके पैक्स के सदस्य बन सकते है।
- **ग्रामीण भाईयों से निवेदन है** कि सरकारी कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने अपने पैक्स में ऑन लाईन आवेदन कर सदस्य बने।
- **महिलाओं की विशेष भागीदारी पैक्स में** रहे इस हेतु कानूनी प्रावधान सरकार ने किया है ताकि पैक्सों के प्रबंधन/निदेशक मंडल में **50** प्रतिशत महिलाओं की भागदारी हो।
- **कमजोर वर्गों की पैक्स में विशेष भागीदारी** के लिए सरकार ने कानूनी प्रावधान के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्गो के सदस्यों को प्रबंधन/निदेशक मंडल में आरक्षण किया है।

निवेदक : सहकारिता विभाग बिहार सरकार ।